न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

CNR NO.–UPLP 1200 1741 2022

सरकार
बनाम
इन्द्रपाल आदि।

मुकदमा संख्या–3121/2024
अं०धारा–323, 504 भा०दं०सं०
थाना–पसगवां, जिला–खीरी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वादिनी पक्ष विनीता देवी तथा अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित हैं। उभयपक्षों द्वारा सुलहनामा दिनांकित 08.07.2026 प्रस्तुत कर उपरोक्त मुकदमे को समाप्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सुलहनामा दिनांकित 08.07.2026 पत्रावली पर दाखिल है। उपरोक्त पर वादिनी पक्ष विनीता देवी के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार ने की है तथा अभियुक्तगण इन्द्रपाल, धर्मेन्द्र, रामाधार व संजय के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर वर्मा ने की है। सुलहनामा उपरोक्त आज दिनांक 08.07.2026 को न्यायालय में तस्दीक किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिनी पक्ष विनीता देवी द्वारा विपक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध वाद दायर किया गया था। संधिपत्र आज दिनांक 08.07.2026 को न्यायालय में तस्दीक किया गया। पक्षकारान में अब सुलह हो गयी है। अतः सुलहनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

सुलहनामा दिनांकित 08.07.2026 स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण इन्द्रपाल, धर्मेन्द्र, रामाधार व संजय को धारा–323, 504 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उपरोक्त वाद का निस्तारण सुलहनामा के आधार पर किया जाता है। सुलहनामा इस निर्णय का अंग होगा। बाद कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 08.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी–खीरी।
(JO Code–UP 3725)